RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-06
June-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

बिलासपुर में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आंकलन

*[1]शास्त्री ललित कुमार, [2]संतोष इंदु (डॉ.)

[1]शोधार्थी (वाणिज्य)ए वाणिज्य विभागए डॉ. सी. व्ही. रामन विश्वविद्यालयए कारगिरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), भारत
[2]सह–प्राध्यापिका, प्रबंधन विभाग, डॉ. सी. व्ही. रामन विश्वविद्यालय, कारगिरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), भारत

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 12 June 2019

Keywords
सामाजिक–आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय संस्थान, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, बैंक।

***Corresponding Author**
Email: pillai.indu[at]gmail.com

ABSTRACT

यह शोध पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता के आलोक में बिलासपुर जिले की अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन और अध्ययन करने का प्रयास करता है। कोटा ब्लॉक को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है और संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके 100 परिवारों के बीच सर्वेक्षण किया गया। परिणाम से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मुख्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का लाभ लेना शुरू किया गया है ताकि वे अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकें और अपने सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार कर सकें। यह अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि कुल मिलाकर, बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में जनजाति के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में आंशिक विकास हुआ है।

1. परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को ''उन जनजातियों या समुदायों या ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है''। एल. पी. विधार्थी के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है, जिसमें निश्चित क्षेत्र, सामान्य नाम, सामान्य वंश, सामान्य संस्कृति, एक अंतःसंयोजक समूह का व्यवहार, सामान्य वर्जनाएं, विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व और नेताओं में पूर्ण विश्वास और उनके अलग होने में आर्थिक आत्मनिर्भरता है (विद्यार्थी, 1981)। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोग अपने आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क के शर्मीलेपन और पिछड़ेपन के कारण अन्य समुदायों से अलग हैं। ऐतिहासिक रूप से, आजादी के बाद भी, अनुसूचित जनजाति के लोग विभिन्न लाभों से वंचित रहें हैं और यह भारतीय संविधान में भी अच्छी तरह से माना गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके सामाजिक न्याय का प्रावधान है। जनजातीय आबादी भारत की जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग को पारिस्थितिक, सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक पहलुओं से जोड़ती है। वे मुख्य रूप से राष्ट्र में व्यापक गरीबी का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसका कारण यह है कि वे सदियों से कई नागरिक सुविधाओं से शोषित और व्यावहारिक रूप से वंचित हैं। ब्रिटिश सरकार ने कस्बों और गांवों में आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान कीं जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि। लेकिन ये सुविधाएं अपर्याप्त थीं और मुख्य रूप से निहित स्वार्थ के साथ थीं। हालाँकि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं और उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा है। 2011 की अनुसूची में भारत की सबसे हालिया जनगणना के अनुसार जनजातियों में 8.6ः जनसंख्या शामिल है।

2. भारत में अनुसूची क्षेत्र

भारत की कुल जनजातीय आबादी 8.6 प्रतिशत है (भारत की जनगणना, 2011)। भारत में 550 से अधिक आदिवासी समुदाय निवास कर रहे हैं, जिनमें से 75 को आदिम जनजाति समूह के रूप में घोषित किया गया है जो पूरे देश में फैले हुए हैं। आदिवासी आबादी की पहचान हमारे देश के मूल निवासियों के रूप में की जाती है। उन्हें भारत के लगभग हर राज्य में देखा जाता है। सदियों से, वे प्राकृतिक वातावरण के आधार पर एक साधारण जीवन जी रहे हैं और अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के लिए सांस्कृतिक स्वरुप विकसित किया है। ऐसे आदिवासी समूहों के संदर्भ प्राचीन काल में रामायण और महाभारत काल के साहित्य में भी मिलते हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, भारत (1981–2011)

	1981	1991	2001	2011
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
असम	-	12.82	12.4	12.4
मणिपुर	27.3	34.41	34.2	35.1
मेघालय	80.58	85.53	85.9	86.1
नागालैंड	83.99	87.7	89.1	86.5
त्रिपुरा	28.44	30.95	31.1	31.8
अरुणाचल प्रदेश	69.82	63.66	64.2	68.8
सिक्किम	23.27	22.36	20.6	33.8

RRIJM 2015, All Rights Reserved

मिजोरम	93.55	94.75	94.5	94.4
उत्तरी				
हिमाचल प्रदेश	4.61	4.22	4	5.7
उत्तर प्रदेश	0.21	0.21	0.1	0.6
केंद्रीय				
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	22.97	23.27	20.3	21.1
पश्चिमी				
गुजरात	14.22	14.92	14.8	14.8
महाराष्ट्र	9.19	9.27	8.9	9.4
राजस्थान	12.21	12.44	12.6	13.5
दादरा और नगर हवेली	78.82	78.99	62.2	52
गोवा	0.99	0.03	0	10.8
दमन और दीव	-	11.54	6.3	6.3
दक्षिणी				
आंध्रप्रदेश	5.93	6.31	8.8	6.3
केरल	1.03	1.1	1.1	1.5
कर्नाटक	4.91	4.26	6.6	7
तमिलनाडु	1.07	1.03	1	1.1
द्वीप				
अण्डमान और निकोबार	11.85	9.54	8.3	7.5
लक्षद्वीप	93.82	93.15	94.5	94.8

स्रोतः जनगणना रिपोर्ट 2011

समाज में प्रमुख समस्या यह है कि जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता बहुत कम या अनुचित है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएँ शुरू की हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण, ये योजनाएँ उन तक नहीं पहुँच पाएंगी । समाज में आय और स्थिति के अनुचित स्रोत के कारण, यहां तक कि बैंक इन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करने में संकोच करते हैं। भारत के आदिवासी समुदायों के संदर्भ में आर्थिक समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपलब्ध शोध अध्ययन बताते हैं कि जनजातीय आबादी का विशिष्ट स्वास्थ्य, पागलपन की स्थिति, अज्ञानता, इन् वजहों से अनुसूचित जनजाति के लोग कुपोषण और संक्रमण रोगों के तहत ''गरीबों की बीमारियों '' का बोझ उठाते हैं। वे मुख्यधारा के द्वारा नियंत्रित, दबाये हुए और शोषित हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी है और राज्य में आदिवासी लोगों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याएं हैं जैसे की सामाजिक, आर्थिक , शैक्षिक, स्वास्थ्य, धर्म, कानून और व्यवस्था की स्थिति, स्व–केंद्रित प्रवृत्ति और इसी तरह की अनेक समस्याएँ हैं, और उन्हें सरकार से अल्प सुविधाएं मिलीं, क्योंकि सरकारी योजनाएं आमतौर पर औसत जिले या गांव के लिए विकसित या बनायीं जाती हैं, जो वास्तविकता से सम्बंधित नहीं है जब अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में बात की जाती है।

3. अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बिलासपुर जिले के अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन और अध्ययन करना और विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का आंकलन करना है। क्योकि आमतौर पर यह देखा गया है की सरकारी योजनायें केवल कागज के पन्नो में सिमट के रह जाती है और अनुसूचित जनजातियों तक पहुँच भी नहीं पाती है। इसका एक मुख्य कारन अशिक्षा और जनजातियों के मध्य जानकारी का आभाव है।

4. शोध प्राविधि

इस शोध का मुख्य उदेश्य बिलासपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन करना है और कोटा विकासखंड का चुनाव अध्धयन क्षेत्र के रूप में किया गया है। विभिन्न शासकीय योजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन के बारे में पथ्मिक आंकड़ों के संकलन हेतु एक स्व–संरचित प्रश्नावली तैयार की गयी तथा अध्धयन क्षेत्र के 100 अनुसूचित जनजाति परिवारों का चुनाव सुविधा प्रतिचन प्रणाली के माध्यम से अध्धयन के प्रतिचयन के रूप में किया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव का आकलन करने के लिए प्रतिचायनित परिवारों के मध्य साक्षात्कार आयोजित करके प्राथमिक समंको का संकलन किया गया है। एकत्र किए गए समंकों को ैच 21.0 में सारणीबद्ध कर विश्लेषण किया गया है।

5. समंको का विश्लेषण

तालिका 1: उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय वर्णन

विवरण		आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग			
	पुरुष	64	64
	महिला	36	36
आयु			
	20 साल से कम	12	12
	21–30 वर्ष	51	51
	31–40 वर्ष	16	16
	41–50 वर्ष	11	11
	50 वर्ष से ऊप	10	10
शिक्षा			
	अशिक्षित	42	42
	प्राथमिक	30	30
	10वीं तक	19	19
	12वीं तक	7	7
	स्नातक स्तर	2	2

व्यवसाय		
कृषि	83	83
निजी कर्मचारी	5	5
दैनिक मजदूर	10	10
अन्य	2	2
आय		
रु 5000 से कम	30	30
रु 5, 001 – 10, 000	44	44
रु 10, 001 – 15, 000	16	16
रु 15, 001 से अधिक	10	10

तालिका 1 में प्रतिचायानित उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वर्णन प्रस्तुत किया गया। यह पाया गया कि उत्तरदाताओं में से अधिकांश पुरुष (64%) थे, जबकि महिला उत्तरदतायें लगभग 36% है, जो की पुरुष वर्ग के प्रभुत्व को दर्शाता है । यह देखा गया कि उत्तरदाताओं का 51% 21–30 वर्ष की आयु वर्ग है, उत्तरदाताओं का 16% 31 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में आता है, उत्तरदाताओं का 12% 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के अंतर्गत आता है, 11% उत्तरदाताओं की आयु 41–50 आयु वर्ग के हैं, 10% उत्तरदाता 50 वर्ष आयु के ऊपर से हैं। उत्तरदाताओं को योग्यता के अनुसार पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक और अशिक्षित। तालिका 1 के अनुसार उत्तरदाताओं का 42% अंश निरक्षर स्तर पर है, 30% उत्तरदाताओं ने अपना प्राथमिक विद्यालय स्तर पूरा कर लिया है। उत्तरदाताओं के 19% ने अपना 10 वीं पूरा कर लिया है, उत्तरदाताओं के 7% ने अपना 12 वीं स्तर पूरा कर लिया है और डिग्री स्तर पर उत्तरदाताओं का स्तर केवल 2% है। यह भी पाया गया कि उत्तरदाताओं का 83% कृषि व्यवसाय हैं, उत्तरदाताओं का 10% दैनिक वेतन श्रेणी में आता है, उत्तरदाताओं का 5% निजी कर्मचारी हैं, 2% उत्तरदाता अन्य श्रेणी के हैं। यह भी पाया गया कि 30% उत्तरदाताओं की मासिक आय 5,000 से नीचे, 44% उत्तरदाताओं की मासिक आय रुपये 5001–10000 के बीच है, 16% उत्तरदाताओं की मासिक आय 10001–15000 है, और केवल 10% उत्तरदाताओं की मासिक आय सीमा 15001 रुपये से ऊपर है।

तालिका 2: अधिग्रहित भूमि का आकार

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1 एकड़ से कम	30	30
2 से 3 एकड़	53	53
3 से 4 एकड़	10	10
4 एकड़ से ज्यादा	7	7

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से 53.0 प्रतिशत के पास 2 से 3 एकड़ भूमि है, 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 1 एकड़ से कम भूमि है और 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के के पास 3 से 4 एकड़ भूमि है। केवल 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 4 एकड़ से अधिक है।

तालिका 3: सरकार से वित्तीय सहायता योजनाएं

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	90	90
नहीं	10	10

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 90: उत्तरदाताओं को बैंकों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिली है, जबकि 10: उत्तरदाताओं को उपलब्ध सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है।

तालिका 4: वित्तीय संस्थानों का विवरण

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
को–ऑपरेटिव बैंक	53	53
निजी बैंक	17	17
एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंक	24	24
अन्य संस्थान	6	6

उपरोक्त तालिका से पाया गया कि 53.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सहकारी बैंकों से तथा 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है, 17.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निजी बैंक से ऋण प्राप्त किया है और 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एनी बांको से ऋण प्राप्त हुआ है।

तालिका 5: ऋण का उद्देश्य

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
स्व रोजगार	7	7
कृषि	85	85
व्यापार	5	5
अन्य लोन	3	3

उपरोक्त तालिका से, यह पाया गया कि 85% उत्तरदाताओं ने कृषि उद्देश्यों के लिए बैंक से ऋण लिया है, वहीं 7% उत्तरदाताओं ने स्वरोजगार के लिए, 5% ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए और 3% उत्तरदाताओं ने अन्य उद्धेश्यों की पूर्ती हेतु ऋण प्राप्त किया है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

6. निष्कर्ष

बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक का चुनाव अध्ययन क्षेत्र के रूप में कर के अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त प्रस्तुत विश्लेषण से यह पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक होने लगे हैं और इन योजनाओं का लाभ अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लेना शुरू कर दिया है । कृषि इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय और फसल उत्पादन बढ़ाने के हेतु बेहतर कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के लोग विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से वित्तीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं जो की उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। इन वित्तीय सहायता के कारण लोग अब अपने फसल उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम होने लगे है, और कृषि उत्पादन से होने वाले लाभ से अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर कर प् रहें है। बेहतर आर्थिक स्थिति लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन और समग्र विकास की ओर ले जाती है। हालांकि उत्तरदाता निरक्षर हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का लाभ उठाएं। सरकार द्वारा परिवहन सुविधा एवं बस सुविधा भी प्रदान की जाती हैं। इससे पता चलता है कि सरकार ने जनजातीय लोगों की परिवहन सुविधा के विकास में बहुत रुचि दिखाई है। परिवहन सुविधा के संबंध में, आदिवासियों के विकास के लिए शिक्षा और सरकारी उपायों ने अपना महत्व बनाया है और यह जनजातीय लोगों तक पहुँच गया है जो की वास्तव में प्रशंसनीय है। पहले आदिवासियों को ऋण देने में बैंकिंग संस्थान कोई रूचि नहीं दिखाते थे पर विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गन अब वित्तीय संस्थान भी अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान करने लगे हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है की बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में जनजाति के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में एक आंशिक विकास हुआ है।

संदर्भ सूचि

1. डॉ. वरियर एल्विन समिति (1960) ''आदिवासी विकास कार्यक्रमों पर अध्ययन दल की रिपोर्ट', भारत सरकार नई दिल्ली एओ, समिति
2. रॉय बर्मा (1978), ''भूमि अलगाव की भावना–ए जनजातीय अर्थव्यवस्था जनजाति, वॉल्यूम, एक्स, संख्या 4, 1978।
3. फेंडर थाकर (1986), ''भारत में जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक विकास'', दीप और दीप पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1986।
4. कुन्हामन, एम. (1982), '' केरल की जनजातीय अर्थव्यवस्था : एक अंतर प्रतिगामी विश्लेषण'', नई डी, 1982।
5. दुल्ज (1962), ''केरल के जनजाति फरतिया सेवा शहरा '', 1992।
6. बख्शी और करण बेलर (2000), ''सामाजिक और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास'', दीप और दीप प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। नई दिल्ली, 2000
7. शर्मा. ए. एन (2002), आदिवासी कल्याण और विकास, अरूप एंड संस, नई दिल्ली।
8. डॉ. सुजाता कन्नूगो (2010), ट्राइबल , मोहित प्रकाशन, नई दिल्ली के बीच विकास कार्यक्रम और सामाजिक परिवर्तन ।
9. सुरेश के शर्मा (2010), ''ट्राइब्स बाय द एज'', विस्टा इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
10. पीके भौमिक (2005), ''आदिवासी और सतत विकास'', कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली।

RRIJM 2015, All Rights Reserved